इन्द्र कुमार
अपर सचिव एवं
राजभाषा अधिकारी

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
विधि और न्याय मंत्रालय
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
विधि कार्य विभाग
DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

संदेश

दिनांक 14 सितम्बर, 1949 हमारे लिए सदैव स्मरणीय है। इसी दिन हमारी संविधान सभा ने देश में सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा 'हिंदी' को 'संघ की राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन को हम 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते हैं।

2. मुझे प्रसन्नता है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस के अवसर पर विधि कार्य विभाग में दिनांक 1 सितम्बर, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक 'हिंदी माह' मनाया जा रहा है और हिंदी निबंध, अनुवाद, हिंदी टिप्पण व प्रारूपण, हिंदी श्रुतलेखन, हिंदी टंकण तथा हिंदी कामकाज की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। हमारे शाखा सचिवालयों तथा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विधि आयोग और आयकर अपीलीय अधिकरण के पीठों में भी विविध आयोजन किए जा रहे हैं।

3. 'हिंदी माह' मनाने का उद्देश्य विभाग के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक वातावरण बनाना और इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें और अपनी सक्रिय भागीदारी से आयोजन को सफल बनाएं।

4. मैं आयोजन की सफलता की कामना करता हूँ और विभाग व उसके शाखा सचिवालयों तथा प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

इन्द्र कुमार

(इन्द्र कुमार)

नई दिल्ली
हिंदी दिवस, 14 सितम्बर, 2017